F.No.19030/3/2008-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.IV Branch

New Delhi, the // June, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Travelling Allowance Rules-Implementation of the Sixth Central Pay Commission.**

The undersigned is directed to invite a reference to this Ministry's OM of even number dated 23.9.2008 vide which revised TA/DA Rules as per recommendations of 6th CPC, as accepted by the Government, were notified. Para 3 of the Annexure to the above mentioned OM prescribes the entitlements with regard to hotel accommodation, taxi charges and reimbursement of food bills in respect of government officials on tour.

2. The matter regarding availability of suitable hotel accommodation etc. within the rates approved vide the O.M. to Government officials while on tour has been taken up by the Ministry of Tourism with various State Governments and also with ITDC. Some of the State Tourism Departments and the ITDC have responded to the initiative. The rates offered by various State Tourism Departments and ITDC to the Government officials while on tour can be accessed on the website of respective State Tourism departments. The Ministry of Tourism is also being requested to collate the information centrally and post it on their website for convenience of government officials.

3. Government Officials may, if they so desire, avail of their rates offered by State Tourism Departments and ITDC while on official tour depending on their entitlement as per OM dt. 23.9.2008

11/6/10
(Karan Singh)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of Government of India

फा. सं. 19030/3/2008–संस्था–IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
<u>संस्था. IV शाखा</u>

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– **यात्रा भत्ता नियमावली – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।**

अधोहस्ताक्षरी को 23.09.2008 के इस मंत्रालय के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके तहत सरकार द्वारा यथा–स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियम अधिसूचित किए गए थे। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध के पैरा 3 में दौरे पर सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में होटल आवास, टैक्सी प्रभार और भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति के संबंध में पात्रता निर्धारित की गई है।

2. सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के दौरे के समय, कार्यालय ज्ञापन के तहत अनुमोदित दरों के अंदर उपयुक्त होटल आवास की उपलब्धता से संबंधित मामला, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और आई.टी.डी.सी. के साथ उठाया गया है। कुछ राज्य पर्यटन विभागों और आई.टी.डी.सी. ने इस पहल का उत्तर दिया है। सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के दौरे के समय विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों और आई.टी.डी.सी द्वारा दी जाने वाली दरें संबंधित राज्य पर्यटन विभागों की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। पर्यटन मंत्रालय से सूचना को केन्द्रीय रूप में एकत्र करने तथा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधा के लिए उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया जा रहा है।

3. सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, यदि वे चाहें, 23.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अपनी पात्रता के आधार पर सरकारी दौरे पर राज्य पर्यटन विभागों और आई.टी.डी.सी. द्वारा दी जाने वाली दरों का लाभ उठा सकते हैं।

(कर्ण सिंह) 11/6/10
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।